

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)



क्रमांक/अकादमिक/2025/139

जबलपुर, दिनांक: 28/2/25

आदेश

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत निर्मित परिनियम 28 की कंडिका 38 के प्रावधानानुसार अशासकीय महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं महाविद्यालय के शासी निकाय के मध्य संपादित अनुबंध से उत्पन्न किसी विवाद के निराकरण हेतु माननीय कुलगुरु महोदय द्वारा निम्नानुसार न्यायाधिकरण का गठन किया गया है—

1. कुलगुरु द्वारा मनोनीत सदस्य — अध्यक्ष
प्रो. राकेश बाजपेयी, आचार्य,
भौतिक शास्त्र विभाग,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
2. महाविद्यालय के शिक्षक द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतकर्ता द्वारा नामित सदस्य — सदस्य
3. शिक्षक द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय शासी निकाय द्वारा नामित सदस्य — सदस्य

उक्त न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय अंतिम होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक: 28/2/25

पृ.क्र/अकादमिक/2025/139"3"

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रो. राकेश बाजपेयी, अध्यक्ष, न्यायाधिकरण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. रा.दु.वि.वि. से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यगण।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. कार्यालयीन नस्ती।

प्र. उपकुलसचिव (अकादमिक)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर